शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या:- 37/2018/777-78-1-2018-123आई0टी0/2016 टीसी

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.5 (स्टेट जी.एस.टी.) के अन्तर्गत इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78-1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे।

3- राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पाक्र्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रू 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.5 में तथा प्रस्तर 4.7 के अन्तर्गत स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.5 स्टेट जी.एस.टी.

भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूँजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले हो, स्टेट जी.एस.टी. की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

4.7 प्रकरण (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन

मात्र रू 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली ESDM इकाइयों हेतु

विकल्प 1:

- रू 200 करोड़ से अधिक तथा रू 300 करोड़ की सीमा तक के निवेश तथा न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अनुरूप ही विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा। पूँजी उपादान और ब्याज उपादान के मदों में केस टू केस आधार पर प्रोत्साहनों की अधिकतम वित्तीय सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकता है।
- रू 300 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 1500 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे जो ई.पी.एफ, ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण मूल्य की प्रतिपूर्ति, भूमि, ऊर्जा पर छूट इत्यादि एवं अन्य किन्हीं मदों में छूट के रूप में होंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

विकल्प 2:

- रू 200 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूँजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 200 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले हो, स्टेट जी.एस.टी. की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसका निर्धारण सशक्त समिति की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से किया जायेगा।
- इस विकल्प के अन्तर्गत, उपरोक्त उल्लिखित स्टेट जी.एस.टी. की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, केवल "स्टाम्प ड्यूटी", "भूमि हेतु प्राविधान", "ई0एम0सी0 अवस्थापना सुविधायें" तथा "गैर वित्तीय प्रोत्साहन" अनुमन्य होंगे।

5- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.1 स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.5 तथा प्रस्तर 4.7 के अन्तर्गत, प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु निम्न मानकों को पूर्ण करने वाली इकाइयाँ पात्र होंगीः-

5.1.1 आवेदक इकाई उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित ई.एस.डी.एम. इकाई हो, जिसके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पूँजी निवेश कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों। स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के पश्चात, समय-समय पर स्टेट जी.एस.टी. जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा।

5.1.2 प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा, सक्षम प्राधिकारी यथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों एवं आवश्यकतानुसार गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेण्ट की सत्यापन आख्या प्राप्त होने के पश्चात, स्थिर पूँजी निवेश के मूल्यॉकन के आधार पर निर्धारित होगी।

5.1.3 आवेदक इकाई द्वारा केवल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थित ई.एस.डी.एम. इकाई में निर्मित उत्पादों पर अदा किये गये स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति ही अनुमन्य होगी।

5.1.4 सम्बन्धित इकाई द्वारा स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय को अर्द्धवार्षिक आधार पर, उस छमाही की समाप्ति के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना होगा।

5.1.5 इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा, आवेदन के सफलतापूर्वक सत्यापन के उपरान्त, आवेदक को "पात्रता-पत्र", आवेदन-पत्र प्राप्त करने के यथासम्भव 30 कार्यदिवसों के अंतर्गत निर्गत किया जायेगा जिसमें पात्रता आरम्भ तिथि तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति धनराशि के उल्लेख सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें भी प्रदर्शित होंगी।

5.2 स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति का विवरण एवं प्रक्रिया

5.2.1 इकाई द्वारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी (Output Tax Liability) के सापेक्ष इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) के समायोजन के पश्चात, केवल भुगतान किये गये विशुद्ध स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति ही अनुमन्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.2.2 स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की सीमा, इकाई के स्थिर पूँजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) का अधिकतम 100 प्रतिशत, अथवा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 के प्रस्तर 4.7 के विकल्प 2 के अन्तर्गत अनुमोदित विशिष्ट निवेश प्रस्ताव जिसमें स्थिर पूँजी निवेश के 200 प्रतिशत की अधिकतम सीमा अथवा 10 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, प्रोत्साहन अनुमन्य है, अथवा शासन द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहन राशि, जो भी कम हो, होगी।

5.2.3 स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भूमि को छोड़कर, स्थल पर (on site) स्थिर पूँजी निवेश यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि की लागत को संज्ञान में लिया जायेगा।

5.2.4 इकाई को उत्तर प्रदेश में स्थापित इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में निर्मित उत्पादों पर स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.2.5 इकाई के स्थल पर (on site) स्थिर पूँजी निवेश के मूल्यॉकन एवँ सत्यापन हेतु उत्तर प्रदेश शासन/नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा मूल्यॉकन समिति का गठन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

5.2.6 इस योजना के अन्तर्गत स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की इच्छुक इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन/परिचालन आरम्भ करने के पश्चात, स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन से पूर्व, कम्पनी के लेटरहेड पर **(अनुलग्नक–1)** पर निर्दिष्ट प्रारूप पर एक आवरण–पत्र के साथ एवँ प्रासंगिक अभिलेखों/ दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक–2)** पर इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय को आवेदन देकर पंजीयन कराना होगा। बिना प्रासंगिक अभिलेखों/दस्तावेजों के और/अथवा अपूर्ण आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5.2.7 "पात्रता–पत्र" निर्गत किये जाने के पश्चात, आवेदक इकाई प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की पात्र होगी। प्रतिपूर्ति हेतु दावा, "स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति आवेदन प्रपत्र" **(अनुलग्नक–3)** पर, अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

5.2.8 स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं अभिलेखों को, उनके सत्यापन हेतु इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा आवेदक इकाई के क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग,उ0प्र0 के कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा जिनके द्वारा एक विशेष अधिकारी नामित किया जायेगा, जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं अभिलेखों का सत्यापन कर प्रतिपूर्ति की जाने वाली स्टेट जी.एस.टी. धनराशि को सुनिश्चित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.2.9 वाणिज्य कर विभाग के विशेष अधिकारी द्वारा सूचनाओं एवं अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त तथा नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के पश्चात, पात्र इकाइयों को स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा की जायेगी।

5.2.10 "स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति" हेतु आवश्यक आवश्यक अभिलेखों सहित "स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति आवेदन प्रपत्र" (3 प्रतियों में) प्राप्त होने के पश्चात इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा उसका परीक्षण करके, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी (Output Tax Liability) के सापेक्ष इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) के समायोजन के पश्चात अदा किये गये विशुद्ध कर के सत्यापन एवँ इकाई को धनराशि प्रतिपूर्ति के लिए अनापत्ति हेतु, उसे वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित विशेष अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

5.2.11 ऐसी इकाई, जिनके निवेश प्रस्ताव उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के प्रस्तर 4.7 के अन्तर्गत केस-टू-केस आधार पर अनुमोदित किये गये हों, को स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति तत्सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार ही अनुमन्य होगी।

5.2.12 वाणिज्य कर विभाग के नामित विशेष अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन करके अपनी संस्तुति 30 कार्यदिवस की अवधि में इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय को दी जायेगी। वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा, सत्यापित प्रपत्र की, एक प्रति अपने पास रखते हुए उसकी दो प्रतियॉ इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय को, उनके अभिलेखों तथा आवेदक हेतु वापस की जायेगी।

5.2.13 सत्यापित प्रपत्र इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा आवश्यक संस्तुतियों, अभिलेखों एवं आख्या सहित नीति कार्यान्वयन इकाई के अन्तिम अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

5.2.14 चुनिन्दा मामलों में इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी/ तकनीकी समिति अथवा निदेशालय द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवेदक के प्रत्येक कार्यस्थल और प्रत्येक इकाई का भ्रमण करके औद्योगिक इकाई के विद्यमान होने और उसके परिचालन का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

5.2.15 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अन्तिम अनुमोदनोपरान्त इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा 15 कार्यदिवस के अन्दर आवेदक इकाई को अन्तिम निर्णय के बारे में सूचित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.2.16 प्रतिपूर्ति दावे की प्रोसेसिंग और नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उसके अन्तिम अनुमोदनोपरान्त, इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा 30 कार्यदिवस के अन्दर आवेदक इकाई को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान अवमुक्त किया जायेगा।

5.3 स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया

पात्र इकाई को स्वीकृत होने वाली स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान उसके द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते में ई-पेमेण्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

5.4 पात्र इकाई के दायित्व

स्टेट जी.एस.टी. की प्रर्तिपूर्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो वाणिज्य कर विभाग/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें वाणिज्य कर विभाग/ इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय/नीति कार्यान्वयन इकाई/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

5.5 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ (उ0प्र0) स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

5.6 व्यय भार

स्टेट जी.एस.टी. की प्रर्तिपूर्ति में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

5.7 परिभाषायें

इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे शासनादेश के अनुलग्नक 'क' में पारिभाषित हैं।

6- **<u>स्टेट जी.एस.टी. की प्रर्तिपूर्ति निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>**

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

<u>संलग्नकः यथा उपरोक्त</u>।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 37/2018/777(1)/78-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0
5 वाणिज्य कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टैम्प्स एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
9 निदेशक, उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
10 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
11 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
12 गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।